कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 287 दिनांकः– 11.3.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **JUSNL का 220 KV D/C जसीडीह–गिरिडीह ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु गिरीडीह पूर्वी वन प्रमंडल अन्तर्गत 40.789 हे0 एवं देवघर वन प्रमंडल अन्तर्गत 12.9614 हे0 कुल 53.7504 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन विभागीय पत्रांक 790 दिनांक 21.02.2019**

महाशय,

प्रांसगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 53.7504 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर कुल पांच बिन्दुओं पर की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक दुमका का पत्रांक 499 दिनांक 07.03.2019 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत हैः–

क्र0सं0	पृच्छाऐं	निराकरण
1.	देवघर वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में Online समर्पित Part-II की वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर द्वारा हस्ताक्षरित प्रति।	देवघर वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि के संबंध में Online समर्पित Part-II की वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर द्वारा हस्ताक्षरित प्रति। अनु0–01
2	देवघर वन प्रमंडल अन्तर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित भूमि नोडल पदाधिकारी के पत्र में उल्लिखित भूमि में अन्तर को स्पष्ट करते प्रतिवेदन।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु देवघर वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा मधुपुर, थाना नं0 658 प्लॉट नं0 320, 323, 322,339 रकबा 25.93 हे0 का चयन किया गया है। जो पार्ट–II में भी दर्ज है।
3	Land Schedule में कई स्थान पर उल्लिखित है कि खतियान फटा है अथवा खतियान नहीं है। इस प्रकार की भूमि को किस Category में रखा जाय।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक दुमका ने सूचित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी प्लॉटों का किस्म भूमि प्रमाण पत्र प्राप्त है प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित भूमि किस्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न। **अनु0–3**
4	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक का मंतव्य।	CWLW, झारखण्ड, राँची का मंतव्य उनके कार्यालय के पत्रांक 420 दिनांक 15.02.19 द्वारा भवदीय के कार्यालय में भेज दी गई है।
5	प्रस्ताव के साथ संलग्न वृक्षों की गणना सूची तथा Online पार्ट–II की कंडिका–4(ii) में उल्लिखित वृक्षों की संख्या में अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक दुमका ने सूचित किया है कि प्रस्ताव में देवघर वन प्रमंडल अन्तर्गत कुल 478 वृक्ष हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी प्रस्ताव के हार्ड कॉपी के साथ संलग्न है। चूँकि ऑन लाईन पार्ट–2 में प्रविष्टि करने के उपरांत सुधार करने का प्रावधान नहीं है, अतः अतः ऑन लाईन वृक्षों की संख्या में सुधार नहीं किया जा सका है। प्रस्ताव में सन्निहित वृक्षों की विवरणी संलग्न। **अनु0–4**

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक दुमका से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

अनु0ः—यथोक्त।
अनुपालन प्रतिवेदन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

11.3.2019

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

11.3.19

H:\Vikash\Kaimuddin Sir\जसीडीह-गिरिडीह 40.789 देवघर .docx

31258/18
82.7504-ha